न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार.आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 246 / 2022

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1 दगतावरसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 75 वर्ष 2 लिखमसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 73 वर्ष 3 पोकरसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 70 वर्ष 4 बाबूसिंह पुत्र हरदानसिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपुत निवासी सोढों की ढाणी तहसील सिणधरी 5 दरियाकंवर पुत्री हरदानसिंह पत्नि रतनसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपुत निवासी धनवा तहसील सिणधरी 6 नथूकंवर पुत्री हरदानसिंह पत्नि मोडसिंह उम्र 63 वर्ष निवासी बालोतरा		1 धन्नाराम पुत्र रूगाराम उम्र 67 वर्ष 2 दीपाराम पुत्र रूगाराम उम्र 60 वर्ष जाति दर्जी निवासी सोढों की ढाणी हाल जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3 शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 4 तहसीलदार, सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 14 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 11.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण पैतृक कब्जा काश्त का खेत मूल खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 24.18 बीघा (4.0288 हेक्टयर) मौजा बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में स्थित है जो अकेले प्रार्थीगण पिता के खातेदारी का था तथा हरदानसिंह के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के पैतृक खातेदारी अधिकारो की थी। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थीगण के जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। कि वादग्रस्त आराजी में के पिता हरदानसिंह के साथ प्रार्थीगण जो [illegible] के जायदा पुत्र व पुत्रीयां है, के अधिकार अपने पिता के बराब[illegible] अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा [illegible] पिता हरदानसिंह का वादग्रस्त भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के मध्य भूमि का बाहामी [illegible]वाडा किया हुआ था तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रहे है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की सहदायिकी सम्पत्ति है तथा प्रत्येक का बराबर हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं था तथा समस्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

गण के पिता हरदानसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसका प्रार्थीगण के पिता दानसिंह ने नाजायज फायदा उठाते हुऐ बेशकीमती भूमि में अपने 1/7 हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से सहित समस्त भूमि का बेचान अजनबी व झगडालू प्रवृति के व्यक्तियों विप्रार्थी संख्या 1 व 2 रूगाराम को जरिये नामान्तरकरण संख्या 6 के कर दिया है जिस संबंध में प्रार्थीगण से कोई सहमति नहीं ली गई है तथा न ही प्रार्थीगण को कोई जानकारी दी गई तथा प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह ने गुप्त रूप से अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान प्रार्थीगण के हिस्से सहित कर दिया है जो बेचान प्रार्थीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था तथा प्रार्थीगण स्व हरदानसिंह के विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार जन्म के साथ ही निहित हो गये था। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप प्रार्थीगण विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। बादग्रस्त आराजी की वर्तमान में कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि आगे से आगे हस्तातरण करने पर प्रयासरत है तथा अब प्रार्थीगण को वादग्रस्त पैतृक व सहदायिकी भूमि से महरूम करना चाहते है तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दखलअन्दाजी कर रहा है। कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण विधिक हिस्सा 1/7–1/7 है तथा इसी हिस्से की घोषणा खातेदारी एवं विभाजन का दावा माननीय न्यायालय में पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। समस्त परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें कि विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 24.18 बीघा (4.0288 हेक्टयर) मौजा बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही किसी प्रकार का बेचान, हस्तातंरण आदि नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण पैतृक कब्जा काश्त का खेत मूल खसरा नम्बर 16 कुल रकबा 24.18 बीघा (4.0288 हेक्टेयर) मौजा बावडी खुर्द पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में स्थित जो अकेले प्रार्थीगण पिता के खातेदारी का था तथा हरदानसिंह के नाम से पूर्व [illegible] हुआ था। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के पैतृक खातेदारी [illegible] की थी। इस प्रकार वादग्रस्त समस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह को पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी जिससे प्रार्थीगण के जन्म के साथ ही वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो गया। कि वादग्रस्त आराजी में के पिता हरदानसिंह के साथ प्रार्थीगण जो हरदानसिंह के जायंदा पुत्र व पुत्रीयां है, के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके है, जिससे प्रार्थीगण व उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested

पिता हरदानसिंह का वादग्रस्त भूमि में 1/7 1/7 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह के मध्य भूमि का बाहमी बंटवारा किया हुआ था तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी बनाकर अपने परिवार सहित अलग निवास कर रहे है। चूंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की सहदायिकी सम्पत्ति होने परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं होने से प्रार्थीगण के पिता हरदानसिंह ने नाजायज फायदा उठाते हुए बेशकीमती भूमि में अपने 1/7 हिस्से से अधिक प्रार्थीगण के हिस्से सहित समस्त भूमि का बेचान को प्रार्थीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्धता रखता हो, जिसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर निर्धारित होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं? ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीनीगण का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:37:44 IST
Reason: SelfAttested